

प्रेसनोट

राजनांदगांव 4 अप्रैल, 2015. छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला का दर्ज संख्या एवं दूरी के मान से युक्तियुक्तकरण मापदण्ड के अनुसार युक्तियुक्तकरण के आवश्यकता वाले शालाओं का चिन्हांकन कर लिया गया है तथा यू-डाईस डाटा अनुसार विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण के प्रयोजन के लिए गठित समिति के अनुमोदन उपरांत शालाओं के युक्तियुक्तकरण हेतु सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रकाशित सूची में किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावा करनी हो तो दिनांक- 11.05.2015 तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला राजनांदगांव को सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि के उपरांत प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। युक्तियुक्तकरण हेतु प्रस्तावित शालाओं की सूची कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, के सूचना पटल पर एवं जिला राजनांदगांव के वेब-साईट www.rnandgaon.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाऊनलोड किया जा सकता है।

कलेक्टर,

राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 2219 / शिक्षा / युक्ति / 2015 राजनांदगांव, दिनांक- 6.5.15
प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, छ.ग. रायपुर।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव।
6. अपर कलेक्टर, जिला राजनांदगांव।
7. सभापति, शिक्षा स्थायी समिति, जिला पंचायत, राजनांदगांव।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव।
9. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव।
10. प्राचार्य, डाईट, खैरागढ़।
11. उप संचालक, जन संपर्क, राजनांदगांव।
12. कार्या. सूचना पटल।

कलेक्टर,

राजनांदगांव (छ.ग.)